रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1975/पौष 14, 1896
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1975/PAUSA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January 1975

S.O. 12(E).—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Pepper and Ginger Merchants' Association Ltd., Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 19th January, 1975 to 18th January, 1976 (both days inclusive) in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act I of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(23)-IT/74]

A. F. COUTO, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1975

का० आ० 12 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए पेप्पर एण्ड जिंजर मर्चेन्टस एसोसिएशन लिमिटेड, मुम्बई द्वारा आवेदन किए जाने पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में भी होगा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रवृत्त मुम्बई साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का मुम्बई अधिनियम 1) में यथापरिभाषित बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च की अग्रिम संविदाओं की बाबत उक्त एसोसिएशन को 19 जनवरी, 1975 से 18 जनवरी, 1976 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है।

एतद्द्वारा की गई मान्यता इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[सं० फा० 12 (23) /आई० टी०/74]

ए० एफ० कुटो, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975